कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक /1157/ रीडर/2024/ लोरमी , दिनांक 25.07.2024

प्रति,

श्री अनिल सलूजा
आयोजक– अध्यक्ष,
लोरमी युवा मण्डल
जिला मुंगेली (छ.ग.)

विषय :– लोरमी नगर में दिनांक 02.08.2024 से दिनांक 08.08.2024 तक शिव कथा महापुराण के आयोजन की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ :– आपका विषयांकित पत्र दिनांक 24.07.2024।

––0––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र प्रस्तुत है। दिनांक 02.08.2024 से दिनांक 08.08.2024 तक माननीय श्री प्रदीप मिश्रा जी, सीहोर वाले के द्वारा शिव कथा महापुराण कार्यक्रम स्थल ढोलगी रोड वार्ड नं 14 लोरमी जिला मुंगेली (छ.ग.) मे आयोजित कराने की अनुमति चाही गई है।

1. **कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुंगेली का पत्र क./2988 दिनांक 23.07.2024 (संलग्न है) प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि**

(अ) सभा स्थल का रकबा 04एकड़ है। जिसमें 4X43560 = 174240वर्गफीट/6.00 कुल 29040.00 व्यक्ति बैठ सकते है। लगभग 1.50–2.00लाख व्यक्ति प्रतिदिन आने की संभावना है। इतने जन समूह के लिए प्रस्तावित स्थल अप्रर्याप्त एवं बहुत ही कम है।

(ब) प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल अस्थाईरूप से खेतों को नरम मिट्टी से पाटकर बनाया गया है। पर्याप्त काम्पेक्शन नही किया गया है। बड़े डोम का **सेल्फ वेट** बहुत ज्यादा होने से **डोम के गिरने की संभावना** है, जिससे **जनहानि एवं अप्रिय स्थिति** हो सकती है।

(स) पर्याप्त ड्रेनेज व्यवस्था नही होने के कारण डोम एरिया में पानी भराव होने की संभावना है। सभा स्थल में कीचड़ होने एवं भगदड़ होने की संभावना है।

(द) सभा स्थल कोटा–लोरमी–पण्डरिया मार्ग **SH-10** के किनारे स्थित है, जिससे बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बगैर राज्यमार्ग को अवरूध्द नही किया जा सकता है।

(ई) सभा स्थल में व्ही.व्ही.आई.पी., व्ही.आई.पी. एवं आम जनता के लिए पर्याप्त प्रवेश एवं निकासी द्वार का स्थान नही है।

"उपरोक्त कारणों से उक्त सभा स्थल आयोजन हेतु उपयुक्त नही है।" अभिमत दिया गया है।

2. **सहायक अभियंता (संचा0/संधा0) उपसंभाग लोरमी छ.ग. स्टेट पावर डिस्ट्री कंपनी लिमिटेड लोरमी का पत्र क./395 दिनांक 22.07.2024 (संलग्न है)** प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि वर्षाऋतु के दौरान खरीफ फसलों का रोपण एवं आंधी बारिश, आकाशीय बिजली व समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की **अनुमति प्रदान किया जाना उचित नही है।** अभिमत दिया गया है।

3. उप पुलिस अधीक्षक लोरमी का पत्र क. 673–ए दिनांक 24.07.2024 (संलग्न है) प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि दोनों प्रमुख तकनीकी विभाग की सहमति के अभाव में **सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से आयोजकों को अनुमति दिया जाना उचित नही है।** अभिमत दिया गया है।

4. **खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी का पत्र क. 1130 दिनांक 20.07.2024 (संलग्न है)** प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि
   (अ) 30 से 40हजार श्रध्दालु रात्रि विश्राम पण्डाल में ही करेंगे। बरसात में नम मिट्‌टी के उपर कारपेट पर सोने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है।
   (ब) लोरमी क्षेत्र में अभी फेल्सीफेरम मलेरिया के केस निकल रहे है। बिना सुरक्षा के सोने पर मलेरिया का खतरा है।
   (स) इस समय डायरिया का खतरा रहता है।
   (द) लोरमी में उपलब्ध चिकित्सीय मानव संसाधन प्रर्याप्त नही है।

5. **सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड लोरमी का पत्र क. 708 दिनांक 24.07.2024 (संलग्न है)** प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि वर्षाकाल में बहुत संख्या में श्रध्दालुओं के एकसाथ आगमन होने के कारण पानी से संबंधित विभिन्न रोग जैसे डायरिया, कालरा, जलजनित बिमारियों की आशंका है। तैयारियों हेतु अत्यंत कम समय होने, वर्षा के कारण दूषित पेयजल से होने वाली जलजनित बिमारियों से जनहानि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराना संभव नही है।

6. **मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद लोरमी का पत्र क. 349 दिनांक 24.07.2024 (संलग्न है)** प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि बारिस का मौसम है कार्यक्रम स्थल में पानी की निकासी की व्यवस्था नही है। रोड किनारे पानी का भराव होने की संभावना है, जिससे आवागमन बाधित होगा। प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रध्दालु आयेंगे एवं रात रूकेंगे। उनके नहाने, शौच आदि हेतु नगर पालिका क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था नही है। खुले में शौच करने की संभावना है साथ ही चलित शौचालय के वेस्ट मेनेजमेंट की व्यवस्था नगर पालिका में नही है। शौच के सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित निस्तारन की व्यवस्था नही होने से एवं वर्षाकाल होने से गंदगी, बदबू एवं बिमारी फैलने की संभावना है। **प्रस्तावित आयोजन की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।** अभिमत प्रस्तुत किया है।

उरोक्तानुसार विभागों द्वारा अभिमत प्रेषित कर जनसुविधा, जनस्वास्थ्य, जनसुरक्षा एवं जनजीवन को संकट की संभावना स्पष्ट करते हुए प्रस्तावित कार्यक्रम आयोजित करने असहमति व्यक्त किया गया है।

अतः उपरोक्त आधारों पर आपके द्वारा प्रस्तुत संदर्भित आवेदन अनुसार लोरमी नगर में दिनांक 02.08.2024 से दिनांक 08.08.2024 तक शिव कथा महापुराण के आयोजन की अनुमति प्रदान किया जाना संभव नही है। आपका उक्त आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
लोरमी जिला मुंगेली(छ.ग.)
अनुविभागीय दण्डाधिकारी
लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)

पृ. क्रमांक /1158/ रीडर/2024/ लोरमी , दिनांक 25.07.2024

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मुंगेली को सादर सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली को सादर सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मुंगेली को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुंगेली को सादर सूचनार्थ।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली को सादर सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) लोरमी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी लोरमी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. थाना प्रभारी लोरमी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
लोरमी जिला मुंगेली(छ.ग.)

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग मुंगेली संभाग मुंगेली

ज्ञाप क्र. /2988/तक./2024/ मुंगेली, दिनांक 23/07/2024

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
लोरमी, जिला–मुंगेली (छ.ग.)

विषय :– लोरमी में दिनांक 02.08.2024 से 06.08.2024 तक शिव महापुराण कथा आयोजन के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. 1096/रीडर/2024/लोरमी दिनांक 16.07.2024

---00---

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 20.07.2024 को पंडित प्रदीप मिश्रा (सीहोर वाले) वाले द्वारा शिव महापुराण कथा प्रवचन कार्यक्रम स्थल लोरमी का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्न कमियां पाई गई :–

1. सभा स्थल का रकबा 04 एकड़ है जिसमें 4 x 43560 = 174240 वर्गफीट/6.00 कुल 29040.00 व्यक्ति बैठ सकते है। चूंकि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण कथा प्रवचन कार्यक्रम में सावन मास होने के कारण आस–पास के लगभग 1.50 से 2.00 लाख व्यक्ति प्रतिदिन आने की संभावना है। इतनी जनसमूह के लिए प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल अपर्याप्त एवं बहुत ही कम है।

2. पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल नरम मिट्टी का है, अस्थाई रूप से कार्यक्रम स्थल को खेतों की मिट्टी से पाटकर बनाया गया है। नरम मिट्टी में पर्याप्त काम्पेक्शन नही किया गया है। बड़े डोम का Self Weight बहुत ज्यादा होने के कारण डोम के गिरने की संभावना है। जिससे जन हानि एवं अप्रिय घटना हो सकती है।

3. कार्य स्थल खेत में नरम मिट्टी भरकर तैयार किया गया है वर्षाऋतु होने की वजह से खेत के आस–पास का पानी सभा स्थल एवं स्टेज में जाने से कीचड़ होने तथा समुचित एवं पर्याप्त ड्रैनेज व्यवस्था नही होने के कारण डोम एरिया में पानी का भराव होने की संभावना है। इस प्रकार सभा स्थल में लगभग 1.50 से 2.00 लाख व्यक्ति प्रतिदिन आने के कारण भगदड़ हो सकती है।

4. सभा स्थल कोटा–लोरमी–पंडरिया मार्ग एस.एच.–10 के किनारे स्थित है। उक्त मार्ग बिलासपुर से पण्डरिया जाने हेतु 01 मात्र मुख्य मार्ग है मार्ग में यातायात का घनत्व अत्यधिक रहता है जिसके कारण मुख्य मार्ग आवागमन हेतु अवरूद्ध हो जायेगा। बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बगैर राज्य मार्ग को अवरूद्ध नही किया जा सकता।

5. सभा स्थल में व्ही.व्ही.आई.पी., व्ही.आई.पी. एवं आम जनता के लिए पर्याप्त प्रवेश एवं निकासी द्वार का स्थान नही है।

उपरोक्त कारणों से उक्त सभा स्थल, आयोजन हेतु उपयुक्त नही है।

सहपत्र :– **शून्य।**

SDO

कार्यपालन **अभियंता**
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
मुंगेली संभाग मुंगेली (छ.ग.)

पृष्ठा. क्र./ 2989/तक./2024/ मुंगेली, दिनांक 23/07/2024

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय, जिला–मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

सहपत्र :– **शून्य।**

कार्यपालन **अभियंता**
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
मुंगेली संभाग मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय सहायक अभियंता (संचा0/संधा0) उपसंभाग लोरमी
छ.ग. स्टेट पावर डिस्ट्री.कं. लिमिटेड लोरमी

क्र./ सहा.अभि./उपसंभाग/कार्य/395

लोरमी, दिनांक 22.07.2024

प्रति,

अनुविभागिय **दंण्डाधिकारी**
अनुभाग – लोरमी जिला – मुंगेली छ.ग.

विषय :– लोरमी में दिनांक 02.08.2024 से 06.08.2024 तक पं. श्री प्रदीप मिश्रा जी के कथा आयोजन हेतु अभिमत के संवंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक 1088/रिड़र/2024 लोरमी दिनांक 16.07.2024 ।

-----0-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित ज्ञापन के अनुरूप लोरमी में दिनांक 02.08.2024 से 06.08.2024 तक पं. श्री प्रदीप मिश्रा जी के कथा आयोजन हेतु मौके का स्थल निरीक्षण किया गया जिसका प्रतिवदेन निम्नानुसार है :–

1. प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल जिसमें शिव महापुराण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है जिसमें लगभग 1.5 से 2.0 लाख श्रध्दालुओं के आने की संभावना है जिसमें खुले मैदान में प्रस्तावित पंड़ाल में लाईट, पंखा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाऊड़स्पीकर) आदि यंत्रो के कनेक्शन हेतु बिछाये गये तारो से विद्युत दुर्घटना की संभावना रहती है। एवं विद्युत प्रदाय सहिंता 2011 की कंड़िका कमांक 4.61 में निहित प्रावधान "Provided that in case temporary supply is required in premises/place where 100 or more persons are likely to assemble, applicant shall submit NOC from District Magistrate and clearance of Electrical Inspector." जिसके अनुरूप Electrical Inspector अधिकृत प्राधिकारी छ.ग. शासन के द्वारा नियुक्त किया गया है।
2. प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल में संभावित भार की गणना करने पर लगभग 400 किलो.व्हॉट. का प्रस्तावित भार उपयोग होने की संभावना है जिसके लिए दो नगं 200 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर मौके पर स्थापित किया जाने हेतु समीपस्थ 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र में प्रस्तावित भार का वहन करने हेतु क्षमता नही है, जिससे असमय शहर की विद्युत आपुर्ति बाधित होने की प्रबल संभावना है।
3. यह कि वर्षा ऋतु के दौरान खरीब फसलो का रोपण के दौरान लोरमी विद्यानसभा क्षेत्र में अत्यधिक विद्युत आपुर्ति होने के कारण क्षेत्र के समस्त 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र, 11 के.व्ही. फिड़र एवं डिस्ट्रीब्युशन ट्रांसफार्मर ओवर लोड़ की परिस्थिति में ट्रांसफार्मर विफलता व लो वोल्टेज की समस्या विद्यमान है।
   वर्षा ऋतु के दौरान आंधी बारिश एवं आकाशिय बिजली के कारण आयोजन में सम्मीलित होने वाले श्रध्दालुओं की अत्यधिक संख्या के कारण विद्युत घातक दुर्घटना की संभावना अत्यधिक है।
4. वर्तमान में लोरमी उपसंभाग के अंतर्गत विद्युत कर्मचारियों की अत्यधिक कमी एवं प्रतिदिन कार्यो की अधिकता के कारण प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पर विद्युत आपुर्ति एवं सुरक्षा के दृष्टिगत अतिरिक्त 20 कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है जिन्हे विद्युत सुरक्षा विभाग के द्वारा शिरोपरि लाईनो के रख रखाव एवं कार्य करने का लाईसेंस प्राप्त हो की पदस्थपना किया जाना अतिआवश्यक है जिससे सुरक्षा पूर्वक विद्युत उपकरणो का संचालन किया जा सकता है।

अतः कार्यक्रम के आयेजन हेतु प्रस्तावित स्थल आदि का मौका निरीक्षण करने पर निरीक्षण बिन्दू कमांक 01 से 04 का पालन किया जाना अतिआवश्यक है, विदित हो लोरमी विद्यानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण वर्षा ऋतु के दौरान खरीब फसलो का रोपण एवं आंधी बारिश एवं आकाशिय बिजली व समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यक्रम को अनुमति प्रदान किया जाना उचित नही है। यदि प्रस्तावित कार्यक्रम को अनुमति प्रदान कि जाती है तो आयोजको को बिन्दू कमांक 01 से 04 में निहीत प्रावधानो के परिपालन व विद्युत सुरक्षा अधिकारी बिलासपुर कि अनुमति लिया जाना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में जवाबदारी संबंधित आयोजको की रहेगी।

K.C. GUPTA
Emp. ID-22337458
Junior Engineer
C.S.P.D.C.L-LORMI

सहायक अभियंता (उपसंभाग)
छ0स्टे0पा0डि0कं0लि0लोरमी

प्रतिलिपि :– कार्यपालन अभियंता (सं./सं.) संभाग छ0स्टे0पा0डि0कं0लि0मुंगेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

—SA—
सहायक अभियंता (उपसंभाग)
छ0स्टे0पा0डि0कं0लि0लोरमी

R
23/7/24

कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)

क्रमांकः– उपुअ / लोरमी / 673–ए / 24 दिनांक 24 / 07 / 2024

प्रति,

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
लोरमी, जिला मुंगेली

विषयः– **लोरमी में दिनांक 02.08.2024 से 06.08.2024 तक शिव महापुराण कथा आयोजन के संबंध में।**

संदर्भः–

1. **कार्य. अभि. लो.नि.वि. / मुंगेली का पत्र क्र. / 2988 / तक. / लोरमी / 2024 मुंगेली दिनांक 23.07.24**
2. **CSPDCL का पत्र क / सहा.अभि. / उपसंभाग / कार्य / 395 / लोरमी दिनांक 22.07.24**
3. **कार्य.अनु.दण्डा. / लोरमी का पत्र क्र. / 1131 / रीडर / 2024 / लोरमी / 2024 दिनांक 20.07.2024**

R 24/7/24 4:05 PM

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से कार्यपालन अभियंता लोक निमार्ण विभाग (भ / स) मुंगेली संभाग मुंगेली के द्वारा संदर्भित पत्र में बिन्दु क्र. 01 से 05 में वर्णित कारणों से लोरमी में शिव महापुराण कथा सभा स्थल, आयोजन हेतु उपयुक्त नही होना एवं सहायक अभियंता (उपसंभाग) छ.स्टे.पा.डि.कं.लि. लोरमी के द्वारा संदर्भित पत्र में बिन्दु क्र. 01 से 04 में निहित प्रावधानों के परिपालन में विद्युत सुरक्षा अधिकारी बिलासपुर की अनुमति लिया जाना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में जवाबदारी संबंधित आयोजको की रहेगी उल्लेखित किया गया है।

अतः उपरोक्त दोनो प्रमुख तकनीकी विभाग की सहमति के अभाव मे सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से आयोजको को अनुमति दिया जाना उचित नही है।

कृपया, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

उप पुलिस अधीक्षक
लोरमी, जिला मुंगेली

प्रतिलिपि :–

1.श्रीमान उमनि / वरि. पुलिस अधीक्षक जिला मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
2.श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।

उप पुलिस अधीक्षक
लोरमी, जिला मुंगेली

कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु0 स्वा0 केन्द्र लोरमी
जिला–मुंगेली (छ0ग0)

क्र0 / 1130/ ख0चि0अ0 / स्था0 / 2024–25 लोरमी, दिनांक 20/07/2024

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)

लोरमी अनुविभाग जिला मुंगेली(छ ग)

विषयः– लोरमी मे दिनांक 2 अगस्त 2024 से 6 अगस्त 2024 तक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण कथा आयोजन हेतु अभिमत के सम्बंध में।

संदर्भः– कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी लोरमी जिला मुंगेली के पत्र क्रमांक / 1090 / रीडर / 2024

लोरमी दिनांक 16.07,2024

––––00––––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी का लोरमी में 2 से 6 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव पुराण कथा कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमे 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति की संभावना है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में इसी तरह के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जहा पर उपस्थित होने वाली भीड़ का पूर्वानुमान एवं भीड़ की संख्या के अनुसार पर्याप्त व्यवस्था की कमी होना परिलक्षित हुआ है जिसके कारण 100 से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।

अतः प्रस्तावित कार्यक्रम के सुचारू आयोजन के लिए आयोजक मंडल को निम्न बिंदुओं के सम्बंध में अवगत करा कर उनसे कार्यक्रम की पर्याप्त व्यवस्था हेतु आश्वासन लेना उचित प्रतीत हो रहा है।

R 23/7

1.चिकित्सा दल के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था के 2 कक्ष हो जिसमे 10 / 10 का 1 कक्ष ओपीडी संचालन के लिए तथा 10 / 10 का 1 कक्ष 4 बेड के लिए आरक्षित हो,कक्ष में आपातकालीन मरीजों एवं स्टाफ के लिए 2–2 कूलर एवं पर्याप्त बिजली व्यवस्था हो,

2.चिकित्सा सेवा स्थल पर एंबुलेंस उपस्थित रहेगी जिसकी आवागमन बाधित न हो उसकी पर्याप्त खुला स्थान हो ।

मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं

3.सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी में पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था हेतु संलग्न चिकित्सको को इस अवधि में लोरमी में मुख्यालय बना कर रहने को निर्देशित किया जाये । वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी में आपातकालिन ड्यूटी हेतु मात्र 2 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं । बाण्ड वाले चिकित्सक प्री.पी.जी. परीक्षा की तैयारी के कारण उस अवधि में उपलब्ध नही रहेंगे, डेढ़ से 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु एकत्र होने पर 5 चिकित्सा अधिकारी जिला से और आवश्यकता होगी ।

4.मलेरिया और डायरिया के महामारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला जंगल की ओर तैनात है । अतः विभाग में मानव संसाधन की कमी है । अतः इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पैरा मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता होगी ।

5.ऐसी जानकारी मिली है कि 30 से 40 हजार श्रद्धालु जो दूर से आयेंगे वे पंडाल में ही रात्रि विश्राम करेगें जिससे निम्न समस्यायें हो सकती हैं:—

5.1.बरसात में नम मिट्टी के ऊपर कारपेट पर सोने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहेगी ।

5.2.लोरमी क्षेत्र में अभी फैलसीपेरम मलेरिया के केस निकल रहे हैं,बिना सुरक्षा के सोने पर मलेरिया का खतरा है जिसका पर्याप्त व्यवस्था आयोजक समिति को करना चाहिए ।

5.3.रूकने वाले श्रद्धालुओं का नहाने शौच का पर्याप्त व्यवस्था हो साथ ही पानी निकासी का व्यवस्था हो । लोग खुले में शौच न करें ये सुनिश्चित करना होगा ।

5.4 नहाने के लिए मनियारी नदी में श्रद्धालुओं के जाने से बाढ़ आने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी ।इसके बचाव का पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हो ।

5.5जमीन पर कारपेट पर सोने से बरसात के जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बना रहेगा जिसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित हो ।

6.इस समय डायरिया का खतरा रहता है अतः आयोजक समिति द्वारा निम्न कदम उठाने आवश्यक होंगे:—

6.1 भंडारे के दौरान भोजन की व्यवस्था में फूड सेफ्टी ऑफिसर की सतत निगरानी रहे जिससे कि बनने वाले भोजन से फूड प्वाइजनिंग का खतरा न रहे ।

6.2भोजन बनाने से लेकर परोसने में स्वच्छता का नियम पालन किया जाए ।

मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं

6.3 बचे भोजन (बासी) का उपयोग किसी भी हालत में न किया जाए तथा उसका निस्पादन उचित तरीके से किया जाए ।

6.4 डिस्पोजल बॉटल / पाउच से पानी पिलाने की व्यवस्था की जाए ।

6.5 हाथ धोने के लिए बेसिन, सेनेटाइजर, व पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो ।

वृद्ध जनों को लाने ले जाने के लिए व्हील चेयर की पर्याप्त व्यवस्था हो ।

7.50 बिस्तर अस्पताल में प्रतिदिन 5—10 प्रसव, तथा नसबंदी आपरेशन सम्पादित होते है जिससे भर्ती मरीजों की संख्या पर्याप्त रहती है, यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो आपातकाल स्थिति के लिये अलग से स्थल चयन कर वैकल्पिक 50 बेड सहित हॉस्पिटल बनाना उचित होगा।

6. लोरमी में उपलब्ध चिकिसकीय मानव संसाधन पर्याप्त नही है अतः आयोजन तिथि तक जिले के अन्य विकासखण्डों से चिकिसकीय टीम की व्यवस्था की आवश्यकता होगी ।

उपरोक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु समस्त परिस्थितियों एवम बिंदुओं का पूर्णतः पालन अति आवश्यक है आयोजकों के द्वारा उपरोक्त बिंदुओं के पालन के आश्वासन के आधार पर कार्यक्रम हेतु अनुमति दिया जाना उचित होगा ।इसके अतिरिक्त उक्त आश्वाशन एवं इसकी पूर्ति का तैयारी के चरणबद्ध स्तरों में निरीक्षण करना आवश्यक है ।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी
जिला—मुंगेली (छ0ग0)

पृ0क्र0 / 1131 / ख0चि0अ0 / स्था0 / 2024—25 लोरमी, दिनांक — 20/07/2024

प्रतिलिपि :—

1. कलेक्टर महोदय,जिला——मुंगेली (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला—मुंगेली (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लोरमी, जिला——मुंगेली (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला कार्यक्रम प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला—मुंगेली (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
5. विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सामु.स्वा.केन्द्र लोरमी की ओर सूचनार्थ।
6. कार्यालयीन प्रति।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी
जिला—मुंगेली (छ0ग0)

मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं

कार्यालय सहायक अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड,मुंगेली (छ.ग.)

क्र. 708 / सहा.अभि. / लो.स्वा.यां.उपखण्ड / 2024–25 मुंगेली, दिनांक 24.07.2024

प्रति

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
लोरमी, जिला – मुंगेली
(छ0ग0)

विषय :– **लोरमी में दिनांक 02.08.2024 से 06.08.2024 तक शिव महापुराण कथा आयोजन के संबंध** में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. 1094 / रीडर / दिनांक 16.07.2024

—00—

उपरोक्त परिपेक्ष्य में लेख है कि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी का लोरमी मे दिनांक 02 से 06 अगस्त तक का 05 दिवसीय शिवपुराण कथा प्रस्तावित है। लोरमी में उक्त कथा मे प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में कार्यक्रम स्थल, व्हीआईपी के रूकने एव अन्य स्थलो का अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा परीक्षण किया गया। जिसमें निम्न तथ्य पाये गए --उक्त समय अवधि वर्षाकाल की है लगातार वर्षा/भारी वर्षा एवं आंधी–तुफान युक्त वर्षा जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है। आयोजन स्थल पर प्रतिदिन 1.5 से 2.0 लाख श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। ऐसी स्थिति मे जन सुविधा, जन स्वास्थ्य, पेयजल एवं निस्तारीकरण की विपरीत स्थिति निर्मित होने की संभावना है। वर्षाकाल मे इतने श्रद्धालुओं का एक साथ आगमन होने के कारण पानी से संबधित विभिन्न रोग जैसे हैजा, डायरिया, कालरा इत्यादि जल जनित बिमारियों की आशंका निर्मित हो सकती है। इतने श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सभव नही हो पायेगा। चूंकि लोरमी एक छोटा कस्बा है यहा पर जन सूविधाओं का आभाव एवं पेयजल वितरण हेतु वालेंटियर की आवश्यकता होगी जो अभी हमारे पास उपलब्ध नही है। उपरोक्त कार्यक्रम मे तीव्र वर्षा की सभावना है। अतः उपरोक्त बिन्दुओ का अवलोकन करने का कष्ट करें। अत्यंत कम समय तैयारिया हेतु वर्षा के कारण दूषित पेयजल से होने वाली जल जनित बिमारिया से जन हानि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराना सभव नही होगा ।

सहायक अभियंता
लो.स्वा.यां.उपखण्ड,मुंगेली (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 709 / सहा.अभि / लो.स्वा.यां.उपखण्ड / 2024–25 मुंगेली, दिनांक 24.07.2024

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय, जिला मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यां.खण्ड मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

सहायक अभियंता
लो.स्वा.यां.उपखण्ड,मुंगेली (छ.ग)

Scanned by TapScanner

कार्यालय नगरपालिका परिषद लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)

क्रमांक /349/ न.पा. / रावि / 2024–25

प्रति,

लोरमी, दिनांक 24 / 07 / 2024

अनुविभागीय अधिकारी (रा)

लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)

विषय :– लोरमी में दिनांक 02.08.2024 से 06.08.2024 तक शिवमहापुराण कथा आयोजन के संबंध में।

संदर्भ :– आपका ज्ञापन क्र. 1090 लोरमी दिनांक 16.07.2024

–––00–––

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि लोरमी में दिनांक 02.08.2024 से 06.08.2024 तक शिवमहापुराण कथा का आयोजन लोरमी युवा मंडल द्वारा आयोजित किये जाने की सूचना है। उक्त आयोजन में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा (सिहोर वाले) द्वारा शिवमहापुराण कथा का प्रवचन किया जाना है। शिवमहापुराण में प्रतिदिन 1.5–2.00 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक लोरमी, जिला मुंगेली के संलग्न प्रतिवेदन अनुसार निकाय से संबंधित जानकारी/अभिमत चाही गई है। जो निम्नानुसार है:–

1. बारिस का मौसम है कार्यक्रम स्थल में बारिस होने पर पानी की निकासी की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर नहीं है। पीडब्लूडी रोड के किनारे पानी का भराव होने की संभावना है। जिससे आवागमन बाधित होगा।
2. निकाय के पास चलित शौचालय की व्यवस्था नहीं है। निकाय द्वारा चलित शौचालय की व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है।
3. मार्गो के अक्रिमण व गढ्ढे को व्यवस्थित किये जाने के संबंध में लेख है कि वर्षा ऋतु होने के कारण किसी भी प्रकार से अतिक्रमण हटाया जाना संभव नहीं है।

अन्य :– कार्यक्रम में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्राद्धालु आयेंगे एवं रात रूकेंगे। उनके नहाने, शौच आदि हेतु नगर पालिका क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। खुले में शौच करने की संभावना है, साथ ही चलित शौचालय के वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था नगर पालिका में नहीं है। शौच के व्यवस्थित एवं सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने से एवं वर्षाकाल होने से गंदगी, बदबू, अस्वच्छता एवं बिमारी फैलने की संभावना हो सकती है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित आयोजन की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

24/7/24

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद लोरमी

R
24/7/24
6.18 P.M.